



एक लक्ष का चयन

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, महोबा।

योजना का नाम पूर्ण जमा योजना

पत्रांक 5266

विषय- निजी नलकूप के लिए

उपभोक्ता का नाम- श्री श्री श्री श्री

ग्राम रहिलिया

महोदय,

/वि०वि०ख०द्वि०/म (टी०सी०)

दिनांक 05-12-23

आवेदन संख्या 1000252343

पिता/पति का नाम- श्री श्री श्री श्री

जिला-महोबा

तहसील- हदोबा

आपके स्वीकृत भार सं० के अन्तर्गत 08 एच०पी के लिए रू० 14026000 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। कनेक्शन देने में 120 मीटर लम्बी एच०पी/एल०पी लाइन तथा वर्तमान स्टेशनों की क्षमता Nil के०वी०ए० से बढ़ाकर Nil के०वी०ए० करने की आवश्यकता पड़ेगी एवं 25 के०वी०ए० का नया सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमत्य छूट के उपरान्त निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाना है। अतः विद्युत शक्ति पाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव किया जाता है।

1 सर्विस कनेक्शन शुल्क	रू०	<u>13531300</u>
2 फिक्सड चार्ज	रू०	<u>495700</u>
3 प्रतिभूति धनराशि	रू०	<u>247000</u>
4 प्रकमण शुल्क	रू०	<u>1</u>
5 जी०एस०टी० @ 18%	रू०	<u>14266000</u>
6 कुल जमा करने योग्य धनराशि	रू०	
7 स्टेट बैंक या ट्रेजरी में 0043 विद्युत कर भारतीय विजली नियमावली के अन्तर्गत की मद में रू० 5500/ जमा करें एवं चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	कुल योग रू०	

- 8 आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं विद्युत मण्डार केन्द्र, महोबा से अपने वाहन द्वारा परिषदीय सामान की ढुलाई करनी होगी तथा स्वयं लाइन बनवाकर क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता को सूचित करना होगा तत्पश्चात् ही मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किया जाएगा।
 - 9 आपको अपना पम्प हाउस बनवाने में आवश्यक ईट, सीमेन्ट व गिट्टी का प्रबन्ध करना होता है, अस्तु उसी में से उपर्युक्त वस्तुओं की कुछ मात्रा जिसका विवरण नीचे दिया गया है, लाइन निर्माण हेतु अतिरिक्त कर ले।
 - 10 कनेक्शन हेतु लाईन व सबस्टेशन के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।
 - (क) सीमेन्ट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा एंगिल पोल स्टे के लिये होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्भा-सीमेन्ट 0.6 बोरी बालू 3घन फीट, गिट्टी 2 घन फीट
 - (ख) अपना कार्य करने के लिये मजदूरों को प्रतिदिन आवश्यकता होगी। यदि आपको ऊपर लिखे शर्तें मान्य हो तो कृपया कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 13 बजे दोपहर गवाहान सहित से कार्यालय में उपस्थित होकर नान जुडीसिवल रू 100/- का जनरल स्टाम्प सहित इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करें।
 - (ग) जब तक बी०एड०एल० फार्म जमा करके रसीद नहीं प्राप्त कर लेते हैं आपको कनेक्शन देने का कार्य नहीं प्रारम्भ किया जायेगा। कलस्टर केस के सभी कृषकों का बी०एड०एल० फार्म प्राप्त होने के बाद ही विद्युत कनेक्शन देने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (घ) परिषद आदेश संख्या 514 सी/20वि०प्र०-16/14/405/सी/81/ दिनांक 12.02.2014 को निर्गत होने के दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित विद्युत भार उपयोग न करने की दशा में अथवा नियम व शर्तें दिये जाने की तिथि से 3 माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने में (जो भी तिथि पहले हो) स्वीकृत भार स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - (ङ) स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार लाइन निर्माण हेतु यदि पेड़ काटने/वन क्षेत्र क्लस करने, रोड काटने/रोड क्रॉसिंग अथवा रेल लाइन क्रॉसिंग की आवश्यकता होती है तो उपभोक्ता द्वारा ही सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त अनापत्ति की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।
- नोट-
- (च) कनेक्शन शन्ट कैपेसिटर लगाने के बाद ही देय होगा।
 - (छ) कनेक्शन लक्ष्य उपलब्ध होने एवं वरीयता के आधार पर ही देय होगा।
 - (ज) सम्पूर्ण राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डैबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग) के माध्यम से ही किया जाए अन्य किसी माध्यम से किया गया भुगतान सवीकार्य नहीं होगा। जीएसटी की धनराशि का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता वि०वि०ख०द्वि० महोबा के नाम जमा करें।
 - (झ) लाइन निर्माण में आने वाली किसी भी बाधा/विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं होगी।
 - (ण) आवेदक द्वारा संयोजन स्थल पर एक से अधिक साझेदार होने की स्थिति में सहसाझेदारों की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देय होगी।

अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, महोबा

पत्रांक 5266

/वि०वि०ख०द्वि०/म (टी०सी०)

दिनांक 05-12-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(क) उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड हदोबा

(ख) अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपकेन्द्र श्री श्री श्री

अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, महोबा